कार्यालय नगर निगम फिरोजाबाद।

–: विज्ञापन कर ठेका शर्तें :–

1– निविदा में वही व्यक्ति भाग ले सकेगा जिसपर नगर निगम का कोई अवशेष न हो।

2– ठेकेदार एवं नगर निगम के मध्य ठेका को लेकर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उक्त वाद में अंन्तिम निर्णय नगर आयुक्त/प्रशासक नगर निगम फिरोजाबाद का होगा। जिसे सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा स्वीकार करना होगा।

3– ठेका निरस्त एवं स्वीकृत करने का अधिकार प्रशासक/नगर आयुक्त में निहित होगा तथा निरस्त करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्राप्त करने को अधिकृत नहीं होगा।

4– ठेका विज्ञापन कर की शर्तें चालू वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2017 तक के लिये मान्य होंगी।

5– ठेका विज्ञापन कर निविदा की 100 प्रतिशत धनराशि निविदा स्वीकृति के तुरन्त बाद जमा करनी होगी इसके बाद कार्यादेश जारी किया जाएगा।

6– शासन, प्रशासन एवं माननीय न्यायालय के आदेश मान्य होगे व नियमानुसार स्टॉम्प पर अनुबन्ध कराना होगा।

7– यह कि विज्ञापन पटो से किसी भी प्रकार की कोई घटना/दुर्घटना, देवीय आपदा आदि से कोई जन हानि, धन हानि अथवा किसी भी प्रकार से दुर्घटना होती है, तो उस का समस्त उत्तरदायित्व विज्ञापनकर्ता ठेकेदार का होगा।

8– यह कि ठेके पर राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा यदि किसी भी प्रकार का टैक्स आरोपित होता है तो ठेकेदार को नियमानुसार जमा कराना होगा।

9– विज्ञापन पट मानक के अनुसार मजबूत होने चाहिए।

10– यह कि ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर ठेका निरस्त करने एवं कार्यवाही करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम फिरोजाबाद को सुरक्षित होगा।

11– यह कि यूनीपोल ठेके के अन्तर्गत स्थापित 5 विज्ञापन पट (2 यूनीपोल 1 ट्राइपोल एंव 2 गेन्ट्री) के अतिरिक्त नगर निगम सीमा क्षेत्र में भूमि, दीवाल और भवन, सार्वजनिक स्थलों और सड़को पर प्रदर्शित होने वाले सभी प्रकार के विज्ञापनों (होर्डिंग, विद्युत तथा अन्य खम्भों पर केयोस्क, बैनर, वालपेण्टिंग, रूॅफटाप होर्डिग, वालड्राप होर्डिग, विद्युत अथवा इलैक्ट्रोनिक प्रकाश, युक्त विज्ञापन, प्रचार वाहन, प्रचार कैम्प, दुकानों पर लगने वाले विज्ञापन, वाहनों पर विज्ञापन, सचल विज्ञापन, रोड शो, पोस्टर, परचा, गुब्बारे, छतरी कैनोपी, ट्री गार्ड, पुष्प पात्र, बस शेल्टर आदि) पर विज्ञापन शुल्क की वसूली की जायेगी।

12– सरकारी विभागों के होर्डिग्स एवं नगर निगम दिशा सूचक के समस्त बोर्ड/होर्डिग्स कर मुक्त रहेंगे, विज्ञापन ठेकेदार विज्ञापन शुल्क की मॉग नही करेंगा।

13– शहर सीमा के अन्तर्गत यूनीपोल, ट्राइपोल, गेन्ट्री को छोडकर इस प्रकार विज्ञापन स्थापित किये जाएगे, कि जन सामान्य एवं यातायात में किसी प्रकार की असुविधा न हो, तथा शासन/प्रशासन आदि के निर्देशानुसार निर्णय लेने की स्थिति में विज्ञापन हटाने होगे, जिसके लिये नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा कोई हर्जाना देय नही होगा।

14– यह कि ठेकेदार द्वारा आयकर, सर्विस टैक्स, चरित्र प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

19/3/16	19/3/16	19/3/16		
ठेका लिपिक	कर अधीक्षक	कर निर्धारण अधिकारी	अपर नगर आयुक्त	नगर आयुक्त/प्रशासक
नगर निगम, फिरोजाबाद	नगर निगम, फिरोजाबाद	नगर निगम, फिरोजाबाद	नगर निगम, फिरोजाबाद	नगर निगम, फिरोजाबाद